

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,**  
**राजस्थान जयपुर**

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/08/२७७

दिनांक: ३०/६/०८

**स्वीकृति आदेश**


जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिए निम्नांकित जिला स्वास्थ्य समितियों को कुल संभावित प्रसवों एवं संभावित लाभांशितों की संख्या के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि की सीमा तक भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

S.No.	District	JSY Benificairies (2007-08)	Targets for Districts (2008-09)	Allotted Amount for 2008-09
1	Ajmer	29404	41166	61748400
2	Nagaur	30643	39836	59753850
3	Tonk	17556	24578	36867600
4	Bhilwara	27139	35281	52921050
5	Jaipur	73014	94918	142377300
6	Dausa	20911	27184	40776450
7	Sikar	26882	37097	55645740
8	Jhunjhunu	15253	21049	31573710
9	Alwar	41143	55543	83314575
10	Churu	19351	25156	37734450
11	Bikaner	24076	32503	48753900
12	Ganganagar	16559	21527	32290050
13	Hanumangarh	11897	15466	23199150
14	Jalore	14145	19803	29704500
15	Barmer	14650	19045	28567500
16	Jaisalmer	4835	6769	10153500
17	Pali	24139	31381	47071050
18	Sirohi	12880	16744	25116000
19	Jodhpur	28896	37565	56347200
20	Bundi	15690	20397	30595500
21	Jhalawar	19931	25910	38865450
22	Kota	19502	25353	38028900
23	Baran	21107	27439	41158650
24	Chittorgarh	27427	23426	35139000
25	Udaipur	43606	56688	85031700
26	Rajasamand	13325	17323	25983750
27	Dungarpur	17266	22446	33668700
28	Banswara	42607	32980	49470000
29	Pratapgarh	-	15378	23067000
30	Bharatpur	34531	44890	67335450
31	Dholpur	22214	28878	43317300
32	S. Madhpur	20520	27702	41553000
33	Karauli	23778	30911	46367100
	<b>Rajasthan</b>	<b>774877</b>	<b>1002332</b>	<b>1503497475</b>

25/6/08

जननी सुरक्षा पर व्यय मद 1.4 के अन्तर्गत वर्णित संबन्धित हेड में अंकित किया जावेगा तथा राशि "आर.सी.एच.-द्वितीय के फ्लेक्सीपूल जननी सुरक्षा योजना मद" से आहरित होगी। यह स्वीकृति सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम.) से अनुमोदित है।

माह दिसम्बर 08 तक की प्रगति रिपोर्ट का सिंहावलोकन माह जनवरी 09 में किया जाकर, संशोधित लक्ष्य एवं अतिरिक्त राशि दिये जाने का निर्णय लिया जाकर स्वीकृती जारी कर दी जावेगी।


  
निदेशक (आरसीएच) 21/1/08  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: NRHM/RCH-III/JSY/07/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. कोषाध्यक्ष, एनआरएचएम।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित जिले।
3. राज्य लेखा प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय, जयपुर
4. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, मुख्यालय
5. रक्षित पत्रावली ।

  
निदेशक (आरसीएच) 21/1/08  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर